राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी—श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या— 19 / 2022
जी0सी0एम0एस0 संख्या— 2022 / 83
दायर दिनांक— 27.05.2022
निर्णय दिनांक— 12.04.2023

1. गोधूराम पुत्र प्रभू
2. छीतर पुत्र भैरू
3. परसा पुत्र नारायण
4. शायरी पत्नि भंवरलाल
5. शिवराम पुत्र प्रभु

सर्वजाति जाट, सर्वनिवासी ग्राम मोखमपुरा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर

——प्रार्थीगण

बनाम

1. उगमाराम पुत्र नारायण जाति जाट, निवासी बेरी की ढाणी , करकेडी
2. मिश्रीलाल पुत्र सुगना, जाति जाट, निवासी करकेड़ी
3. रामनाथ पुत्र सुगना, जाति जाट, निवासी करकेड़ी
4. हरदीन पुत्र सुगना, जाति जाट, निवासी करकेड़ी
5. कालू पुत्र छगना, जाति जाट, निवासी अमरपुरा
6. गणेश पुत्र छगना जाति जाट, निवासी अमरपुरा
7. गोवर्धन पुत्र छगना जाति जाट, निवासी अमरपुरा
8. जगदीश पुत्र भीया जाति जाट, निवासी अमरपुरा
9. जीवण पुत्र रामा जाति जाट, निवासी अमरपुरा
10. नाथू पुत्र रामा जाति जाट, निवासी अमरपुरा
11. पांचू पुत्र छगना जाति जाट, निवासी अमरपुरा
12. सरजु पत्नि स्व0 महराम जाति जाट, निवासी अमरपुरा
13. पुखराज पुत्र स्व0 महराम जाति जाट, निवासी अमरपुरा
14. मोहनी पुत्री स्व0 महराम जाति जाट, निवासी अमरपुरा
15. नेराज पुत्री स्व0 महराम जाति जाट, निवासी अमरपुरा
16. लक्ष्मी पुत्री स्व0 महराम जाति जाट, निवासी अमरपुरा
17. रामदेव पुत्र भीया जाति जाट निवासी अमरपुरा
18. हेमा पुत्र धारू जाति जाट निवासी अमरपुरा
19. गंगा पुत्री जगन्नाथ जाति जाट, निवासी बेरा घर की ढाणी , करकेडी
20. कमला देवी पत्नि लालाराम उर्फ लालूराम जाट जाति जाट, निवासी बेरा घर की ढाणी , करकेडी
21. अमरी पत्नि सूजा जाति जाट, निवासी बेरा घर की ढाणी , करकेडी
22. गणपत पुत्र सुजा जाति जाट, निवासी बेरा घर की ढाणी , करकेडी
23. गिरधारी पुत्र जीवण जाति जाट, निवासी बेरा घर की ढाणी , करकेडी
24. गोविन्द पुत्र रंगलाल नाबा0 जरिये रंगलाल जाति जाट, निवासी बेरा घर की ढाणी , करकेडी
25. छोटी पुत्री रामकरण जाति [illegible] करकेडी
26. जगदीश पुत्र सूजा जाति जाट, निवासी बेरा घर [illegible] करकेडी
27. जितेन्द्र पुत्र रंगलाल जाति [illegible] करकेडी
28. झूता पुत्र सूजा जाति जाट, [illegible] बेरा घर की ढाणी [illegible] केडी
29. झनका पुत्री रामकरण जाति [illegible] करकेडी
30. पूसाराम पुत्र मंगला जाति [illegible] करकेडी
31. मोती पुत्र जगन्नाथ जाति जाट, निवासी बेरा घर की [illegible] , करकेडी
32. मोहन पुत्र सूजा जाति जाट, निवासी बेरा घर की ढाणी , करकेडी
33. रूकमा पुत्री जगन्नाथ जाति जाट, निवासी बेरा घर की ढाणी , करकेडी
34. रूपाराम पुत्र रामकरण जाति जाट, निवासी बेरा घर की ढाणी , करकेडी
35. रामचन्द्र पुत्र श्योबक्ष जाति जाट, निवासी बेरा घर की ढाणी , करकेडी
36. रामेश्वर पुत्र भोलू जाति जाट, निवासी बेरा घर की ढाणी , करकेडी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:38:18 IST
Reason: SelfAttested

12.4.23
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

37. लालू पुत्र सूजा जाति जाट, निवासी बेरा घर की ढाणी , करकेडी
38. लालाराम पुत्र रतना जाति जाट, निवासी बेरा घर की ढाणी , करकेडी
39. सुखराम पुत्र भोलू जाति जाट, निवासी बेरा घर की ढाणी , करकेडी
40. सुखाराम पुत्र श्योबक्ष जाति जाट, निवासी बेरा घर की ढाणी , करकेडी
41. सुगनी पत्नि रामकरण जाति जाट, निवासी बेरा घर की ढाणी , करकेडी
42. सजनी पुत्री जगन्नाथ जाति जाट, निवासी बेरा घर की ढाणी , करकेडी
43. सुरेन्द्र पुत्र गणेश जाति जाट, निवासी बेरा घर की ढाणी , करकेडी
44. हनुमान पुत्र भोलू जाति जाट, निवासी बेरा घर की ढाणी , करकेडी
45. हरिराम पुत्र नन्दलाल जाति जाट, निवासी बेरा घर की ढाणी , करकेडी
46. रामाराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी मोखमपुरा
47. लक्ष्मणराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी मोखमपुरा
48. सजना देवी पुत्री पदमाराम जाति जाट निवासी मोखमपुरा
49. सायर देवी पदमाराम जाति जाट निवासी मोखमपुरा
50. बीरमराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी मोखमपुरा
51. लक्ष्मणराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी मोखमपुरा
52. बीरमराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी मोखमपुरा
53. भूराराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी मोखमपुरा
54. रामाराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी मोखमपुरा
55. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान—भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति—:1. श्री शांतिलाल ढ़ेल, अधि0 प्रार्थीगण
2 श्री विमल किशोर तिवाड़ी, अधि0 अप्रार्थीगण

—:निर्णय:—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की ख0न0 1454/606, 605 व 606 कुल रकबा 4.0772 है0 ग्राम करकेड़ी पटवार हल्का करकेड़ी तहसील रूपनगढ़ में अवस्थित है। प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की उक्त खसरा नम्बर 606 की भूमि के दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की खसरा नम्बर 625 की भूमि स्थित है।उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 18 की खसरा नम्बर 624 की भूमि स्थित है। उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 19 लगायत 45 की खसरा नम्बर 603 की भूमि स्थित है। अप्रार्थी संख्या 46 लगायत 54 तक की खसरा नम्बर 618 की भूमि स्थित है। प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड व नक्शा में तरमीम की गई वादग्रस्त खसरा नम्बर 606 रकबा 3.9155 है0 भूमि पर अर्से दराज से काबिज काश्त है तथा प्रतिवर्ष खरीफ की फसल काश्त करते आ रहे है।

प्रार्थीगण ने वादग्रस्त खसरा नम्बर 606 की भूमि के समुचित उपयोग, उपभोग व सुरक्षा हेतु कृषि भूमि के चारों ओर कांटो की बाड़ लगा रखी है।प्रार्थीगण को वके कब्जे काश्त खातेदारी की उदग्रस्त खसरा नम्बर 606 की भूमि को अपनी सुविधानुसार उपयोग, उपभोग करने का अधिकार है जिसमें बाधाकारित करने का अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नही है। दिनांक 04.01. 2022 को अप्रार्थीगण को कांटो का बाड़ को हटाने का प्रयास किया। अप्रार्थीगण की उक्त अनुचित क्रिया के कारण प्रार्थीगण ने अपनी वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान करवाने के आदेश तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा हल्का पटवारी के नाम से करवाये। सीमाज्ञान हल्का पटवारी व गिरदावर द्वारा दिनांक 31.01.2022 मौके पर उपस्थित होकर सीमाज्ञान की कार्यवाही की जिसमें प्रार्थीगण मौके पर अपनी खातेदमि पर काबिज पाये गये परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 54 ने सीमाज्ञान रिपोट से अपनी असहमति प्रदान करते हुए मौके पर दिनांक 31.01.2022 को उपस्थित नहीं हुए। वादग्रस्त उक्त खसरा नम्बर की भूमि की भविष्य में अन्य पड़ोसी खातेदार की भूमि की सीमा को लेकर विवाद उत्पन्न ना हो तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 54 द्वारा खसरा नम्बर 606 की भूमि पर काबिज काश्त को अस्वीकार करने के कारण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना—पत्र पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pinder
Date: 2023.08.24 13:28:18 IST
Reason: SelfAttested

12.4.23
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी संख्या 1 से 50, 53 से 55 के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 22 से 24, 30,32,34,35,43,44 की ओर से वकील श्री विमल किशोर तिवाड़ी उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 पेश किया गया, जिस पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। तदानुसार उक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 खारिज किया जाकर मूल प्रार्थना–पत्र से अप्रार्थी संख्या 51 व 52 के नाम हटाये जाने के आदेश दिये गये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 22, 24, 34, 43 की ओर से जवाब पेश किया गया।

पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। तदनुसार ग्राम करकेड़ी पटवार हल्का करकेड़ी भू–अ0नि0 क्षेत्र करकेड़ी की अंतिम चौसाला आधार संवत् 2070–2073 जमाबंदी (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 167 के ख0न0 1454/606, 605, व 606 कुल किता 03 रकबा 4.0772 है0 प्रार्थीगण गोधूराम पुत्र प्रभू हि0 3/20, छीतर पुत्र भैरू हि0 1/2 , परसा पुत्र नारायण हि0 1/4, शायरी पत्नि भंवरलाल हि0 1/28, शिवराम पुत्र प्रभु हि0 3/28 सर्व जाति जाट सर्वनिवासीगण ग्राम मौखमपुरा खातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ख0न0 1454/606, 605, 606 के दक्षिण दिशा की तरफ खसरा नम्बर 625, 1467/663 रकाब 1.8445 है0 भूमि स्थित है जो अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के नाम रिकार्ड में दर्ज है। पश्चिमी दिशा में में खसरा नम्बर 624 की भूमि स्थित है जो अप्रार्थी संख्या 05 से 11 व 17, 18 के नाम तथाउत्तर दिशा में ख0न0 603 की भूमि स्थित है जो अप्रार्थी संख्या 19 से 45 के नाम रिकार्ड में दर्ज है। ख0न0 618 की भूमि प्रार्थीण व अप्रार्थी संख्या 46 लगायत 54 के नाम रिकार्ड में दर्ज है। पत्थरगढ़ी बाबत् आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में ख0न0 604 किस्म आबादी ग्राम पंचायत करकेड़ी के नाम व ख0न0 1453/606 की भूमि राजकीय प्राथमिक शाला लिखमा नैण की ढाणी करकेड़ी नाम से रिकार्ड में दर्ज है। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा प्रकरण में किसी तरह का कोई राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया गया।

हमने वकील उभयपक्ष व पैरोकार सरकार तहसीलदार की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी की संयुक्त कब्जे काश्त भूमि का सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। सीमाज्ञान अनुसार ही मौके पर पत्थरगढ़ी करवाया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपनी बहस में पैरोकार सरकार के जवाब को ही बहस माने जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान नहीं करवाया गया, ना ही राज्य सरकार को पक्षकार बनाया है। साथ ही दो पक्षकारों को दो बार पक्षकार संयोजित किया है। अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को मय भारी हर्जाने के खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम करकेड़ी के ख0न0 1454/606, 605 व 606 कुल रकबा 4.0772 है0 भूमि की पडौसी खातेदारो को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियमों के अंतर्गत जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:38:18 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 12.04.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

12.4.23

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं रूपनगढ़ (अजमेर)
उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी